संख्या 2053 / II–2003–03(41) / 03

प्रेषक,

अजय सिंह नबियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सिंचाई अनुभाग देहरादून : दिनांक 18 अगस्त, 2009

विषय : वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु आयोजनागत मदों में धनावंटन–जिला योजना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 515/XXVII(1)/09 दिनांक 28.07.09 एवं आपके पत्र संख्या 3259/ मु0अ0वि0/बजट/बी–1 आवंटन दिनांक 01.08.09 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2009–10 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत जिला योजना में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत संलग्नक–1 के अनुसार रू0 1326.17 लाख (तेरह करोड़ छब्बीस लाख सत्रह हजार मात्र) तथा संलग्नक–2 के अनुसार अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत रू0 236.80 लाख (दो करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र) एवं अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत रू0 129.22 लाख (रू0 एक करोड़ उन्तीस लाख बाईस हजार मात्र) कुल रू0 1692.19 लाख (रू0 सोलह करोड़ बयानवे लाख उन्नीस हजार मात्र) के आवंटन विषयक शासनादेश संख्या 1979/ II–2003–03(41)/03 दिनांक 27.07.09 को निरस्त करते हुये अब सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए जिला योजना में अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत संलग्नक–1 के अनुसार रू0 700.00 लाख (रू0 सात करोड़ मात्र) तथा संलग्नक–2 के अनुसार अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत रू0 596.52 लाख (रू0 पांच करोड़ छियानवे लाख बावन हजार मात्र) एवं अनुदान संख्या 31 में रू0 141.21 लाख (रू0 एक करोड़ इकतालीस लाख इक्कीस हजार मात्र) कुल रू0 1437.73 लाख (चौदह करोड़ सैंतीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय के लिए आपके निवर्तन पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
4. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय।
7. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

8. जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

9. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10. विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2010 ~~2009~~ तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

12. धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-20, 30 एवं 31 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत संलग्नक-1 व 2 में उल्लिखित लेखाशीर्षक/उपलेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग के पत्रसंख्या 515/XXVII(1)/09 दिनांक 28.07.09 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जारी की जा रही है।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या 2053/II-2003-03(41)/03,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2- निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
3- निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
4- अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
6- मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून को वित्त विभाग के पत्र संख्या 515 XXVII(1)/09 दिनांक 28.07.09 की प्रतिलिपि सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28.07.09 के साथ संलग्न प्रारूपों पर सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9- वित्त अनुभाग-2
10- गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव

शासनादेश संख्य 2053 / II-2003-03(41)/2003 दिनांक 18 अगस्त, 2009 का संलग्नक-1

क्र.स.	जनपद का नाम	अनुदान संख्या-20 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 04-नलकूपों का निर्माण, 800-अन्य व्यय, 02-अन्य रखरखाव व्यय, 0291-नलकूपों का निर्माण (जिला योजना), 24-वृहत्	अनुदान संख्या-20 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-06-निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें 800-अन्य व्यय 02-अन्य रखरखाव व्यय 0291-निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें 24-वृहत निर्माण कार्य	अनुदान संख्या-20 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-उत्तरांचल की लघु डाल नहरों का पुनरोद्धार 800-अन्य व्यय 02-अन्य रखरखाव व्यय 0291-निर्माणाधीन सिंचाई नहरें (जिला योजना) 24-वृहत निर्माण कार्य	कुल योग
1	देहरादून	100.00	40.00	–	140.00
2	चमोली	–	14.00	25.00	39.00
3	उत्तरकाशी	–	20.00	14.00	34.00
4	टिहरी	–	10.00	4.50	14.50
5	पौड़ी गढ़वाल	11.00	10.00	–	21.00
6	हरिद्वार	50.00	10.00	–	60.00
7	रूद्रप्रयाग	–	24.00	11.50	35.50
योग गढ़वाल मण्डल		161.00	128.00	55.00	344.00
1	अल्मोड़ा	–	5.00	20.00	25.00
2	बागेश्वर	–	40.00	35.00	75.00
3	चम्पावत	30.00	5.00	–	35.00
4	नैनीताल	80.00	10.00	70.00	160.00
5	पिथौरागढ़	–	8.00	20.00	28.00
6	ऊधमसिंह नगर	29.00	4.00	–	33.00
योग कुमाऊ मण्डल		139.00	72.00	145.00	356.00
कुल योग		300.00	200.00	200.00	700.00

(रू0 सात करोड़ मात्र)

(एस0 एस0 टोलिया)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या 1053 / II–2003–03(41)/2003 दिनांक 18 अगस्त, 2009 का संलग्नक–2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 30 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 04 नलकूपों का निर्माण 800 अन्य व्यय 02 अ0सू0जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 91 अनुसूचित जातियों के लिए नलकूपों का निर्माण (जिला योजना) 24 वृहत् निर्माण कार्य	अनुदान संख्या 31 4700 मुख्य सिंचाई 04 ननमूपों का निर्माण 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 91 अनुसूचित जनजातियों के लिए नलकूपों का निर्माण 24 वृहत् निर्माण	अनुदान संख्या 30 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें 800 अन्य व्यय 0291 अनुसूचित जातियों के लिए नहरों का निर्माण (जिला योजना) 24 वृहत् निर्माण कार्य	अनुदान संख्या 31 4700 मुख्य सिंचाई 06 निर्माणाधीन नहरें 796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना 91 अनुसूचित जनजातियों के लिए नहरों का निर्माण 24 वृहत् निर्माण कार्य	अनुदान संख्या 30 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 07 उत्तराखण्ड की लघु डाल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार 800 अन्य व्यय 91 अनुसूचित जातियों के लिए लघुडाल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार (जिला योजना) 24 वृहत् निर्माण कार्य	अनुदान संख्या 31 4700 मुख्य सिंचाई 07 उत्तराखण्ड की लघुडाल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार 800 अन्य व्यय 91 अनुसूचित जनजातियों के लिए लघुडाल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार (जिला योजना) 24 वृहत्	अनुदान संख्या 30 योग एस0सी0एस0पी0	अनुदान संख्या 31 योग टी0एस0पी0	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	देहरादून	59.00	20.86	80.00	60.00	–	–	139.00	60.86	219.86
2	चमोली	–	–	7.00	4.00	–	–	7.00	4.00	11.00
3	उत्तरकाशी	–	–	30.00	1.25	3.22	–	33.22	1.25	34.47
4	टिहरी	–	–	35.00	23.47	1.05	–	36.05	23.47	59.52
5	पौड़ी गढ़वाल	–	–	13.00	–	–	–	13.00	0.00	13.00
6	हरिद्वार	5.00	–	13.00	1.20	–	–	18.00	1.20	19.20
7	रूद्रप्रयाग	–	–	45.00	–	–	–	45.00	0.00	45.00
योग गढ़वाल मण्डल		64.00	20.86	223.00	89.92	4.27	–	291.27	110.78	402.05
1	अल्मोड़ा	–	–	10.00	–	11.15	–	21.15	0.00	21.15
2	बागेश्वर	–	–	75.00	–	14.80	–	89.80	0.00	89.80
3	चम्पावत	10.79	1.60	7.00	1.00	–	–	17.79	2.60	20.59
4	नैनीताल	41.03	8.62	27.00	–	26.52	5.58	84.55	14.20	108.75
5	पिथौरागढ़	–	–	13.00	2.00	9.49	1.94	22.59	3.94	26.43
6	ऊधमसिंह नगर	14.47	2.41	45.00	7.08	–	–	59.47	9.49	68.96
योग कुमाऊ मण्डल		66.29	12.63	177.00	10.08	61.96	7.52	305.25	30.43	335.68
कुल योग		130.29	33.69	400.00	100.00	66.23	7.52	596.52	141.21	737.73

(रू0 सात करोड़ सैंतीस लाख तिहत्तर हजार मात्र)

(एस0 एस0 दलिया)
अनु सचिव